

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति दिनांकित 04.01.2024 के अनुसार नव नियुक्त न्यायिक अधिकारीगण के कार्यभार ग्रहण करने तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक आधार पर न्यायालय सिविल जज जू0डि0 (एफ.टी.सी. (महिला के विरुद्ध अपराध) जनपद मऊ में निहित थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ का क्षेत्राधिकार एवं थाना चिरैयाकोट से सम्बन्धित फौजदारी मुकदमों की पत्रावलियों का स्थानांतरण निम्न प्रकार से किया जा रहा है :-

1- थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ का क्षेत्राधिकार तथा न्यायालय सिविल जज जू0डि0 (एफ.टी.सी. (महिला के विरुद्ध अपराध) जनपद मऊ में लम्बित थाना चिरैयाकोट से सम्बन्धित सभी पुलिस चालानी एवं परिवाद मामलों की पत्रावलियों को, न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं.1, मऊ में स्थानांतरित किया जाता है।

सभी सम्बन्धित सूचित हों। आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।

दिनांक: 10.01.2024

(स्वेता चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ।

आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

01. माननीय जनपद न्यायाधीश मऊ महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
02. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफ.टी.सी. (महिला के विरुद्ध अपराध)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ।
03. न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं.1, मऊ।
04. अध्यक्ष/मंत्री सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, मऊ।
05. प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन, जनपद मऊ।
06. प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष चिरैयाकोट जनपद मऊ।

(स्वेता चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ।